

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2013—श्रावण 4, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. एफ. 3 (9) 2012-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा, भोपाल संभाग की सतर्कता समिति में, श्री अमरनाथ सरन श्रीवास्तव को अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 फरवरी 2015 तक के लिये नियुक्त करती है.

No. F. 3 (9) 2012-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government hereby, on the recommendation of the Lokayukta, appoints in the divisional Vigilance Committee Bhopal division Shri Amarnath Saran Shrivastava as Chairman, from the date of joining till the 2nd February 2015.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमर सिंह चंदेल, उपसचिव.